केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना

हरियाणा सरकार

न्याय विभाग प्रशासन

अधिसूचना

15 अक्टूबर, 1997

संख्या. 20/10/96–4JJ(I) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39, 1987) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 15 के साथ पठित, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक निकाय का गठन करते हैं, जिसे '*जिला प्राधिकरण*' कहा जाएगा, जो उक्त जिले के लिए उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा या उसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा, जिसमें निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे, अर्थात् :–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश/वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अध्यक्ष
2. जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य
3. पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त	सदस्य
4. जिला अटॉर्नी	सदस्य
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव	सदस्य

प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मनोनीत सदस्यों के नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।

के.जी. वर्मा,
वित्त आयुक्त एवं सचिव,
हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।